न्यायालय जिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर

अपील(सू.का.अ)संख्या 72/2026 बउनवानी बनवारी लाल मीना बनाम उपजिला कलेक्टर बामनवास
निवासी मांडलगांव तहसील बामनवास

GCMS No-2026/154 **Appeal Number- 321010738857099**

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल जज	
20.5.2026	पत्रावली पेश हुयी। अपीलान्ट नियत दिनांक को उपस्थित नही हुआ। अपीलान्ट द्वारा सूचना चाहने बाबत ऑन लाईन पोर्टल के माध्यम से दिनांक 7.2.2026 को लोक सूचना अधिकारी एवं उपजिला कलेक्टर बामनवास को अधिनियम की धारा 6(1) के तहत प्रार्थना पत्र प्रेषित कर *"पंचायत पुनर्गठन ,2025 के बाद पंचायत समिति बामनवास का सक्षम अधिकारी द्वारा अनुमोदित राजनैतिक नक्शा, जिसमे सभी राजस्व गांवो का उल्लेख हो। उपजिला कलेक्टर बामनवास द्वारा पंचायत समिति बामनवास मे प्रस्तावित नवीन ग्राम पंचायत गठन के प्रस्ताव जो जिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर को अनुमोदन हेतु भेजे गये उसकी प्रमाणित सूचना"* उपजिला कलेक्टर बामनवास से दिलाये जाने बाबत निवेदन किया था किन्तु संबंधित लोक सूचना अधिकारी द्वारा निर्धारित समयावधि में उसे चाही गयी सूचना उपलब्ध नही करवायी गयी है, जिसके कारण अपीलान्ट द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम,2005 की धारा 19(1) के तहत ऑन लाईन पोर्टल पर प्रथम अपील इस न्यायालय मे प्रेषित की गयी जो दर्ज रजिस्टर की जाकर सम्बन्धित लोक सूचना अधिकारी एवं उपजिला कलेक्टर बामनवास को तत्काल सूचना उपलब्ध कराने हेतु आदेशित किया गया। लोक सूचना अधिकारी एवं उपजिला कलेक्टर बामनवास की ओर से प्रस्तुत जवाब नोटिस क्रमांकः/आरटीआई/2026/29 दिनांक 18.5.2026 का अवलोकन करने पर पाया गया कि प्रार्थना पत्र दिनांक 7.2.2026 के बिन्दु संख्या 1 की सूचना का संबंध विकास अधिकारी पंचायत समिति बामनवास से होने के कारण आवेदक का प्रार्थना पत्र अधिनियम की धारा 6(3) के तहत पंचायत समिति बामनवास को अन्तरित किया जा चुका है तथा बिन्दु संख्या 2 की सूचना के संबंध मे अपीलान्ट को जरिये पत्रांक 17 दिनांक 11.5.2026 द्वारा वस्तुस्थिति से अवगत कराया जा चुका है कि चाही गयी सूचना के प्रतिलिपि शुल्क जमा करवाकर किसी भी कार्यालय दिवस मे प्राप्त करे। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का गहनता से अवलोकन व मनन करने के उपरान्त हम इस निष्कर्ष पर पहुँचते है,कि अपीलान्ट द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम,2005 के तहत दिनांक 7.2.2026 को प्रेषित प्रार्थना पत्र के बिन्दु संख्या 1 की सूचना का संबंध में उपजिला कलेक्टर बामनवास के कार्यालय से नही होने के कारण सूचना दिया जाना आवश्यक नही है अपीलान्ट उक्त सूचना पंचायत समिति बामनवास से प्राप्त करे तथा बिन्दु संख्या 2 की सूचना नियमानुसार शुल्क जमा करवाकर प्राप्त कर सकता है। ऐसी स्थिति मे अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील दाखिल अभिलेख की जावे। आज्ञा सुनायी गयी। (कानाराम) जिला कलेक्टर सवाई माधोपुर	

Scanned with OKEN Scanner